अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश
Atal Bihari Vajpayee Medical University, Uttar Pradesh

यूपी जीएनएम प्रवेश परीक्षा (यूपीजीईटी 2026) के माध्यम से

जीएनएम पाठ्यक्रम (3 वर्ष)

में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउन्सिलिंग

शैक्षणिक सत्र 2026–27

काउन्सिलिंग दिशा निर्देश एवं सूचना बुलेटिन

संशोधित ऑनलाइन काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया के लिए समय सारणी *

काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया का राउंड (चरण) – 1

क्र0सं0	प्रक्रिया	तिथि (दिन)	समय
1	ऑनलाइन काउन्सिलिंग एवं च्वाइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ	21 जून, 2026 (रविवार)	
2	ऑनलाइन काउन्सिलिंग एवं च्वाइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि	27 जून, 2026 (शनिवार)	रात 11:59 बजे
3	सीट आवंटन (Allocation) की घोषणा	29 जून, 2026 (सोमवार)	
4	सीट आवंटन (Allocation) की स्वीकृति एवं प्रवेश प्रक्रिया के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग	30 जून, 2026 (मंगलवार) से 05 जुलाई, 2026 (रविवार) तक	
5	प्रवेश प्रक्रिया के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग की अन्तिम तिथि	05 जुलाई, 2026 (रविवार)	सायं 6:00 बजे

काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया का राउंड (चरण) – 2

क्र0सं0	प्रक्रिया	तिथि (दिन)	(समय)
1	ऑनलाइन काउन्सिलिंग एवं च्वाइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ	08 जुलाई, 2026 (बुधवार)	
2	ऑनलाइन काउन्सिलिंग एवं च्वाइस फिलिंग की अन्तिम तिथि	12 जुलाई, 2026 (रविवार)	रात 11:59 बजे
3	सीट आवंटन (Allocation) की घोषणा	15 जुलाई, 2026 (बुधवार)	
4	सीट आवंटन (Allocation) की स्वीकृति एवं प्रवेश प्रक्रिया के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग	16 जुलाई, 2026 (बृहस्पतिवार) से 22 जुलाई, 2026 (बुधवार) तक	
5	प्रवेश प्रक्रिया के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग की अन्तिम तिथि	22 जुलाई, 2026 (बुधवार)	सायं 6:00 बजे

काउन्सिलिंग और प्रवेश प्रक्रिया का मॉप अप राउंड (चरण)

क्र0सं0	प्रक्रिया	तिथि (दिन)	(समय)
1	मॉप अप राउंड (चरण) के लिए सीट मैट्रिक्स का प्रदर्शन (Display)	24 जुलाई, 2026 (शुक्रवार)	
2	कैंडीडेट लॉगिन से चरण 1 एवं 2 में आवंटित सीट से ऑनलाइन रिजिग्नेशन (परित्याग) प्रारम्भ	25 जुलाई, 2026 (शनिवार)	अपराह्न 1:00 बजे
3	कैंडीडेट लॉगिन से चरण 1 एवं 2 में आवंटित सीट से ऑनलाइन रिजिग्नेशन (परित्याग) की अन्तिम तिथि	27 जुलाई, 2026 (सोमवार)	सायं 6:00 बजे
4	रिजिग्नेशन (परित्याग) के बाद सीट मैट्रिक्स का प्रदर्शन (Display) और ऑनलाइन काउन्सिलिंग एवं च्वाइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ	28 जुलाई, 2026 (मंगलवार)	
5	ऑनलाइन काउन्सिलिंग एवं च्वाइस फिलिंग के रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि	31 जुलाई, 2026 (शुक्रवार)	रात 11:59 बजे
6	सीट आवंटन (Allocation) की घोषणा	03 अगस्त, 2026 (सोमवार)	
7	सीट आवंटन (Allocation) की स्वीकृति एवं प्रवेश प्रक्रिया के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग	04 अगस्त, 2026 (मंगलवार) से 08 अगस्त, 2026 (शनिवार) तक	
8	प्रवेश प्रक्रिया के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग की अन्तिम तिथि	08 अगस्त, 2026 (शनिवार)	सायं 6:00 बजे

* काउन्सिलिंग और प्रवेश प्रक्रिया के समय सभी कॉलेज कार्यालय छुट्टियों सहित सभी दिनों में खुले रहेंगे।

शैक्षणिक सत्र का प्रारम्भ : 01 अगस्त, 2026

Website - www.abvmuup.edu.in
Email - upget2026@gmail.com
Helpline Contact No: 9889383770, 9889383774 (10:00 AM-6:00 PM)

अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उ0प्र0 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026–27 में जीएनएम पाठ्यक्रम (3 वर्ष) में प्रवेश के लिए यूपी जीएनएम प्रवेश परीक्षा (यूपीजीईटी) 2026 का आयोजन 16–06–2026 को किया है। निम्नलिखित कॉलेजों/संस्थानों में प्रवेश के लिए परिणाम 20–06–2026 को घोषित किया गया।

a) उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय जीएनएम नर्सिंग कॉलेजों/स्कूलों के लिए

i. **के0जी0एम0यू0 कालेज ऑफ नर्सिंग, लखनऊ।**
ii. **स्कूल ऑफ नर्सिंग, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ।**
iii. **एल0एल0आर0 स्कूल ऑफ नर्सिंग, कानपुर।**
iv. **यू0एच0एम0 स्कूल ऑफ नर्सिंग, कानपुर।**
v. **एस0आर0एन0एच0 जी0एन0एम0टी0सी0, प्रयागराज।**
vi. **जी0एन0एम0टी0सी0 जिला चिकित्सालय, गोरखपुर।**
vii. **स्कूल ऑफ नर्सिंग, एस0वी0बी0पी0 जिला चिकित्सालय, मेरठ।**
viii. **स्कूल ऑफ नर्सिंग, जिला चिकित्सालय, बरेली।**
ix. **स्कूल ऑफ नर्सिंग, एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा।**
x. **यू0पी0यू0एम0एस0, सैफई।**

b) प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों/कॉलेजों के लिए

जीएनएम पाठ्यक्रम (3 वर्ष) के लिए पात्रता मानदंड

आयु:– प्रवेश के लिए आयु 31 दिसम्बर, 2026 को या उसके पूर्व न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए।

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (आईएनसी रेगुलेशन के अनुसार) :–

1. जीएनएम में प्रवेश के लिए न्यूनतम शिक्षा पात्रता मानदंड :
   a. अंग्रेजी के साथ 10+2 उत्तीर्ण हुए हो तथा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से योग्यता परीक्षा एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टेट ओपन स्कूल तथा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) के छात्र भी इस परीक्षा में अर्ह हैं। यद्यपि विज्ञान को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को छोड़कर प्रतिशत की गणना के लिए तीन (कोर ऐच्छिक) विषयों के अंक लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित हो कि अभ्यर्थी का अंग्रेजी में उत्तीर्ण अंक हो।
   b. 10+2 में अंग्रेजी के साथ भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों से व्यावसायिक एएनएम पाठ्यक्रम में 40% उत्तीर्ण अंक प्राप्त हुए हों।
   c. 10+2 में अंग्रेजी के साथ किसी मान्यता प्राप्त सीबीएसई बोर्ड/राज्य/केंद्रीय संस्थान से व्यावसायिक स्ट्रीम–हेल्थकेयर साइंस में 40% उत्तीर्ण अंक प्राप्त हुए हों।
   d. उत्तीर्ण अंकों के साथ पंजीकृत एएनएम (यदि लागू हो)।

नोटः– एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए कुल अंकों में से 5% की छूट है।

2. अभ्यर्थी को चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए। (लोअर एक्स्ट्रेमिटी **में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक लोको–मोटर विकलांगता** वाले अभ्यर्थियों के लिए योग्यता के सम्बंध में अन्य पात्रता मानदंड उनकी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मानदण्डों के समान होंगे)

अति महत्वपूर्ण नोटः

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे

- **सीट मैट्रिक्स से कॉलेज के बारे में जानकारी (साख), शुल्क का विवरण, छात्रावास और परिवहन सुविधाओं आदि की जांच करें और साथ ही इनका कॉलेज से भी सत्यापन करें।**
- **संस्थान की भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) मान्यता का सत्यापन करें।**

https://online.indiannursingcouncil.org/Reports/YearlyReportByState.aspx

सामान्य निर्देश

1. पात्र अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग एवं सीट आवंटन (Allocation) के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत (Register) करना होगा।
2. काउन्सिलिंग के लिए अभ्यर्थी को आधिकारिक वेबसाइट www.abvmuup.edu.in के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
3. अभ्यर्थी को अपने यूपीजीईटी 2026 **रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड (आवेदन फॉर्म भरने के लिए प्रयुक्त की गयी)** का उपयोग करके पोर्टल पर काउन्सिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा।
4. अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क **(गैर वापसी/Non-Refundable)** के रूप में 500/– रुपये और काउन्सिलिंग सिक्योरिटी शुल्क **(Counselling Security Fee)** के रूप में 1000/– रुपये का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। जो अभ्यर्थी दोनों फीस का भुगतान नहीं करेंगे, उन्हें काउन्सिलिंग प्रक्रिया के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। काउन्सिलिंग के सभी **चरण** पूरे होने के बाद, प्रवेशित अभ्यर्थियों और उन अभ्यर्थियों को जिन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, काउन्सिलिंग सिक्योरिटी शुल्क **(Counselling Security Fee)** (1000/– रुपये) की वापसी **उस स्रोत पर की जाएगी जहां से मूल रूप से भुगतान किया गया था।**
5. सीट आवंटन (Allocation) के पश्चात, **सीट आवंटन की पुष्टि (Confirmation)** हेतु, अभ्यर्थी एबीवीएमयू यूपी को ऑनलाइन या चालान पद्धति के माध्यम से रूपये 10000/– मात्र सीट पुष्टि शुल्क के रूप में जमा करेंगे।
   a) निजी कॉलेज में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह राशि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी को हस्तान्तरित **(Transfer)** कर दी जायेगी और अन्ततः यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा यह राशि आवंटित कॉलेज को हस्तान्तरित कर दी जायेगी।
   b) सरकारी कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह राशि फॉर्म भरते समय उनके द्वारा दिये गये खाते में वापस कर दी जायेगी।
6. सीट आवंटन के बाद, अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के लिए आवंटित कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। **निर्धारित तिथि और समय के भीतर आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करने में विफल रहने पर काउन्सिलिंग सिक्योरिटी शुल्क (Counselling Security Fee) (1000/– रुपये) जब्त कर लिया जाएगा।** सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र और दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों की एक (01) स्व–सत्यापित फोटोकॉपी ले जाना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है। सभी प्रवेश प्रोविजनल हैं तथा यदि किसी भी समय कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।
7. **कॉलेज में प्रवेश के बाद यदि अभ्यर्थी त्यागपत्र अवधि (Resignation window) अर्थात 25–07–2026 से 27–07–2026 को शाम 6:00 बजे तक सीट से त्यागपत्र (Resignation) नहीं देता है, तो उसकी सीट पुष्टि शुल्क (Seat Confirmation Fee) रु0 10000/– एवं काउन्सिलिंग सिक्योरिटी शुल्क (Counselling Security Fee) रु0 1000/– जब्त कर लिया जाएगा।**
8. **मॉप अप राउंड में सीट आवंटन और स्वीकृति के बाद, यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि तक आवंटित (Alloted) कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है, तो आवंटित सीट, काउन्सिलिंग सिक्योरिटी शुल्क (Counselling Security Fee) (1000/– रुपये) और सीट पुष्टि शुल्क (Seat Confirmation Fee) 10000/– रुपये जब्त कर लिया जाएगा।**

9. **मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य शुल्क केवल शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में ही जमा किए जाने हैं।**
10. **आवंटित कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन के समय, अभ्यर्थी को सभी मूल और वैध प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी।**
11. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों को अनंतिम सीट आवंटन पत्र (Provisional Seat Allotment Letter) जारी किया गया है, उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज/जिला अस्पताल/जिला सीएमओ द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
12. **सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को केवल उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। (अभ्यर्थी के पास उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश से कक्षा 10वीं और 12वीं इंटरमीडिएट (10+2) दोनों बोर्ड परीक्षाएं उत्तीर्ण की हो)। निजी कॉलेजों में प्रवेश के लिए अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी पात्र हैं।**
13. **अभ्यर्थियों का चयन पूर्णतः मेरिट सूची और अभ्यर्थी द्वारा दी गई कॉलेज की वरीयता के आधार पर किया जाएगा।**
14. **किसी भी कॉलेज में सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
15. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि और समय का इंतजार न करें तथा अंतिम समय की असुविधा से बचने के लिए समय से कॉलेज के विकल्पों का चुनाव करें।
16. **काउन्सिलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार कॉलेजों का विकल्प भरना होगा।** उन्हें सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश के लिए सीट आवंटन **(Seat Allocation)** की संभावना बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक विकल्प भरें।
17. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के चयन के मामले में काउन्सिलिंग समिति, एबीवीएमयू यूपी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।
18. **किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ होगा।**
19. **काउन्सिलिंग बुलेटिन में किसी भी विवाद या विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को सही माना जायेगा।**

आरक्षण नीतिः–

1. राज्य सरकार के अनुसार आरक्षण नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीटों के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा।
2. आरक्षण नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के निर्देशों का पालन किया जाएगा।
3. विकलांगता के लिए आरक्षण (पीडब्लूडी): **निचले अंग में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक लोको–मोटर विकलांगता** वाले अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर विचार किया जायेगा और योग्यता के सम्बंध में अन्य पात्रता मानदंड अनारक्षित (यूआर) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मानदण्डों के समान होंगे (भारत का राजपत्र संख्या–275 दिनाँक 05 जुलाई, 2021)।

नोटः– प्रवेश लेने वाले पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों को निचले अंग की 40 से 50 प्रतिशत तक लोको–मोटर विकलांगता के सत्यापन के लिए सरकारी मेडिकल कालेजों/संस्थानों द्वारा गठित एक मेडिकल परीक्षण बोर्ड व नर्सिंग विशेषज्ञ के साथ जॉच करानी होगी।

4. 15% सरकारी सीटें सेवारत एएनएम अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं **(यूपीयूएमएस, सैफई के अतिरिक्त)** (एएनएम को 15.06.2026 तक उत्तर प्रदेश में डीजीएच/एनआरएचएम/एनएचएम में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए)।
5. 10% सरकारी सीटें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं **(यूपीयूएमएस, सैफई के अतिरिक्त)**।
6. केवल उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार/एसडीएम) द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र ही स्वीकार्य होंगे। **इन प्रमाण–पत्रों को अधिकारिक सरकारी पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा।**
7. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रवेश में 10 प्रतिशत का ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार/एसडीएम) द्वारा जारी वैध प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **इन प्रमाण–पत्रों को अधिकारिक सरकारी पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा।**
8. 01 अप्रैल, 2026 या उसके बाद जारी वैध ओबीसी प्रमाण–पत्र मान्य होगा।
9. 01 अप्रैल, 2026 या उसके बाद जारी वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण–पत्र मान्य होगा।
10. जिला मजिस्ट्रेट से जारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण–पत्र मान्य होगा।
11. सक्षम प्राधिकारी से जारी वैध भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री का प्रमाण–पत्र मान्य होगा।
12. सेवारत एएनएम अभ्यर्थियों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र सीएमओ द्वारा 15.06.2026 तक जारी किया जाना चाहिए। **(Annexure 1 के अनुसार)**

नोटः–

- **राजकीय जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्रों/विद्यालयों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए या अभ्यर्थी ने 10वीं और 12वीं (10+2) दोनों बोर्ड परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो)।**
- **अल्पसंख्यक और अन्य किसी भी श्रेणी के शैक्षणिक संस्थानों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश के मानदण्डों/निर्देशों के अनुसार होगा।**
- **केवल भारतीय नागरिक ही प्रवेश हेतु पात्र होंगे।**

चरण (राउण्ड) 1

पात्रता

परिणाम अधिसूचना में काउन्सिलिंग के लिए योग्य सूचीबद्ध (Qualified for Counselling) सभी अभ्यर्थी, जो परीक्षा सूचना बुलेटिन में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं वे काउन्सिलिंग में भाग लेंगे।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

अभ्यर्थी द्वारा काउन्सिलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यूपीजीईटी 2026 की आधिकारिक वेबसाइट www.abvmuup.edu.in के माध्यम से किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया निम्न प्रकार हैः

1. पात्र अभ्यर्थी अपने मौजूदा लॉगिन **(आवेदन फॉर्म भरते समय प्रयुक्त लॉगिन)** के माध्यम से काउन्सिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए अभ्यर्थियों को www.abvmuup.edu.in पर अपने **यूपीजीईटी 2026 रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड** का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।
2. रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा यूपीजीईटी 2026 में भरी गई प्राथमिक जानकारी यथा अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि, श्रेणी, उप–श्रेणी और पता आदि स्वतः पहले से ही भरी रहेगी।
3. जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया के समय 12वीं कक्षा की परीक्षा (10+2) बोर्ड परीक्षा में **Appearing** अंकित किया था, उन्हें **12वीं कक्षा (10+2) के अंक अपडेट करने होंगे।**
4. अभ्यर्थियों को अपना निम्न विवरण भी अपलोड करना होगा।
   a. हाई स्कूल प्रमाण पत्र (कक्षा 10वीं) और
   b. 12वीं कक्षा (10+2) की परीक्षा इंटरमीडिएट मार्कशीट/अंकों का विवरण।
   c. एएनएम मार्कशीट/अंक विवरण (यदि लागू हो)
5. अभ्यर्थियों को अपना निवास स्थान उत्तर प्रदेश राज्य (हां/नहीं), अल्पसंख्यक स्थिति (ईसाई/जैन/मुस्लिम/लागू नहीं) विवरण अपडेट करना होगा और निम्न का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा
   a. निवास स्थिति **(Domicile status)** (यदि लागू हो)
   b. अल्पसंख्यक दर्जा **(Minority status)** (यदि लागू हो)
   c. श्रेणी/उप–श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।
6. सेवारत एएनएम प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।
7. यदि अभ्यर्थी ने आवेदन फॉर्म भरते समय प्रारूप में **लिंग संबंधी जानकारी गलत भरी है** तो वह उसे भी अपडेट कर सकता है।
8. अभ्यर्थी अपनी श्रेणी (केटेगरी) अपडेट कर सकते हैं (वर्तमान श्रेणी को केवल अनारक्षित श्रेणी में एवं उप श्रेणी को केवल श्रेणी में)।
9. अभ्यर्थी को जमा करना होगा
   a. 500/– रुपये ऑनलाइन काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क **(गैर वापसी/Non-Refundable)** और
   b. काउन्सिलिंग सुरक्षा शुल्क **(Counselling Security Fee)** के रूप में 1000/– रुपये

   दोनों शुल्क 1500/– रुपये (500 रुपये + 1000 रुपये) के एकल भुगतान (Single Payment) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।
10. सफल रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार कॉलेजों का चयन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और उसे Save कर सकते हैं।

कॉलेज चयन हेतु विकल्पों का प्रयोग, सीट आवंटन की स्वीकृति और प्रवेश प्रक्रिया

1. ऑनलाइन सीट आवंटन पोर्टल अभ्यर्थी को कॉलेजों का चयन करने तथा उन्हें वरीयता के वांछित क्रम में व्यवस्थित करने की सुविधा प्रदान करेगा। अभ्यर्थी कितनी भी संख्या में विकल्प चुन सकता है तथा निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर वरीयताओं को संपादित (एडिट) और पुनः क्रमित (Re-order) कर सकता है। **उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सीट आवंटन में असफलता से बचने के लिए अधिकतम विकल्प भरें।**
2. काउन्सिलिंग पोर्टल पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार खोला जाएगा। **अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विकल्पों को लॉग–आउट करने से पहले सुरक्षित (Save) कर लिया जाना चाहिए।** अभ्यर्थी अपनी सुरक्षित **(Save)** की गई प्राथमिकताओं/विकल्पों में जितनी बार चाहें उतनी बार परिवर्तन कर सकते हैं। शेड्यूल में निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय पर भरे गये विकल्प स्वतः सेव और लॉक हो जाएंगे।
3. अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय से कॉलेज विकल्पों को लॉक होने के बाद, लॉक किये गये कॉलेज विकल्पों का प्रिंटआउट ले लेना चाहिए।
4. अभ्यर्थियों को सीट का आवंटन यूपीजीईटी 2026 की मेरिट के आधार पर तथा अभ्यर्थियों द्वारा लॉक किए गए विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।
5. अभ्यर्थी सीट आवंटन से संबंधित जानकारी के लिए 29–06–2026 को पोर्टल पर लॉगिन करें।
6. सभी अभ्यर्थी जिन्हें राउंड 1 में सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगाः

   विकल्प 1: एक्सेप्ट एलॉटेड सीट एण्ड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउन्सिलिंग (फ्रीज)

   विकल्प 2: एक्सेप्ट एलॉटेड सीट एण्ड वान्ट्स टू अपग्रेड एण्ड पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउन्सिलिंग (फ्लोट)

   विकल्प 3: डिक्लाइन एलॉटेड सीट एण्ड वान्ट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउन्सिलिंग (डिक्लाइन)

   महत्वपूर्ण नोटः

   शेड्यूल में निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर सीट आवंटन के बाद लॉगिन करने और विकल्प का चयन करने में विफलता के कारण आवंटित सीट और काउन्सिलिंग सिक्योरिटी शुल्क (Counselling Security Fee) (रू0 1000/–) जब्त कर लिया जाएगा।

7. सभी अभ्यर्थी जिन्हें सीटें आवंटित की गई हैं और जिन्होंने **विकल्प 1 या 2** का चयन किया है, उन्हें **अनिवार्य** रूप से ऑनलाइन/चालान मोड के माध्यम से एबीवीएमयू यूपी को रू0 10000/– (पॉच हजार रुपये मात्र) का **सीट पुष्टि शुल्क (Seat Confirmation Fee)** जमा करना होगा। यह राशि प्रवेश के बाद आवंटित कॉलेज को हस्तांतरित कर दी जाएगी तथा काउन्सिलिंग प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने के बाद ट्यूशन फीस में समायोजित कर दी जाएगी।
8. सीट पुष्टि शुल्क **(Seat Confirmation Fee)** जमा करने के बाद, **विकल्प 1 (फ्रीज)** या **विकल्प 2 (फ्लोट)** का चयन करने वाले अभ्यर्थी को निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवंटित कॉलेज में **व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट** करना होगा।
9. अभ्यर्थियों को आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय **मूल प्रमाण–पत्रों के साथ–साथ** दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों की एक (01) स्व–सत्यापित फोटोकॉपी भी साथ ले जाना आवश्यक है।

10. कॉलेज सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और कॉलेज पोर्टल के माध्यम से उन्हें अपडेट करेगा। यदि सभी पात्रता मानदंड पूरे हो जाते हैं और सत्यापित हो जाते हैं, तो **कॉलेज द्वारा अभ्यर्थी को विधिवत हस्ताक्षरित कॉलेज पोर्टल से प्राप्त प्रोविजनल प्रवेश पत्र प्रदान किया जाएगा।**

(नोटः मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य फीस केवल शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ होने के समय ही जमा किये जायेंगे।)

11. निम्न **दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की स्व–सत्यापित एक सेट फोटोकॉपी** की सूची जो आवंटित कॉलेज में जमा करना आवश्यक हैः

I. प्रोविजनल सीट आवंटन पत्र।

II. 5 पासपोर्ट आकार की सफेद पृष्ठभूमि में नवीनतम रंगीन (कलर) फोटो।

III. 10000/– रुपये की सीट कन्फरमेशन शुल्क रसीद।

IV. फोटो पहचान प्रमाणपत्र (आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि)।

V. आवेदन भरते समय अपलोड की गई सत्यापन शीट (verification sheet)।

VI. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा (10+2)/समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/मार्कशीट/अंकों का विवरण। यदि अभ्यर्थी के पास ओरिजनल मार्कशीट नहीं है तो उसे डिजी लॉकर के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।

VII. जन्म तिथि दर्शाने वाला बोर्ड का प्रमाणपत्र। (कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाणपत्र)

VIII. 12वीं कक्षा (10+2) माइग्रेशन/स्थानांतरण प्रमाणपत्र।

IX. एएनएम कोर्स सर्टीफिकेट (यदि लागू हो)।

X. मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र।

XI. यदि लागू हो तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाणपत्र साथ लाना अनिवार्य हैः

   a. केवल उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार/एसडीएम) द्वारा जारी एससी/एसटी जाति प्रमाणपत्र।

   b. 01 अप्रैल 2026 को या उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी/ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र। ओबीसी श्रेणी का उल्लेख उत्तर प्रदेश की ओबीसी–एनसीएल (नॉन क्रीमी लेयर) की सूची में होना चाहिए।

   c. सूचना बुलेटिन में उल्लेखित विधिवत गठित और अधिकृत मेडिकल बोर्ड से जारी बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) प्रमाणपत्र।

   d. जिला मजिस्ट्रेट से जारी स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र।

   e. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) प्रमाणपत्र।

   f. अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र (ईसाई/जैन/मुस्लिम)।

12. **सीट आवंटन और स्वीकृति के बाद (फ्रीज एवं फ्लोट दोनों), यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसकी आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी और काउन्सिलिंग सुरक्षा शुल्क (Counselling Security Fee) (रू0 1000/–) जब्त कर लिया जाएगा।**

13. **कॉलेज में प्रवेश के बाद यदि अभ्यर्थी त्यागपत्र (Resignation) देने की अवधि में अर्थात 25–07–2026 से 27–07–2026 तक सायं 6:00 बजे तक सीट से त्यागपत्र (Resignation) नहीं देता है, तो काउन्सिलिंग सुरक्षा शुल्क (Counselling Security Fee) (रूपये 1000/–) और सीट पुष्टिकरण शुल्क (Seat Confirmation Fee) (रूपये 10000/–) जब्त कर लिया जायेगा।**
14. काउन्सिलिंग के राउंड 1 के पूरा होने के बाद, अभ्यर्थी, जिसने **विकल्प 2 (फ्लोट)** का चयन किया है, राउंड 2 काउन्सिलिंग में सीट अपग्रेड/रिशफल के लिए पात्र होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी मौजूदा सीट में फेरबदल करता है और राउंड 2 में नई अपग्रेडेड सीट प्राप्त करता है, तो उसकी राउंड 1 में आवंटित सीट स्वतः ही रद्द हो जाएगी। **अभ्यर्थी के लिए राउण्ड 2 काउन्सिलिंग की अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य है।**
15. **यदि राउंड 2 काउन्सिलिंग में अभ्यर्थी की सीट अपग्रेड/फेरबदल नहीं की जाती है तो उसकी राउंड 1 की आवंटित सीट सुरक्षित रखी जाएगी।**
16. यदि कोई अभ्यर्थी, जिसने राउंड 1 में **विकल्प 2 (फ्लोट)** का चयन किया है और कॉलेज में प्रवेश ले लिया है, काउन्सिलिंग के राउंड 2 में भाग नहीं लेता है, तो उसकी राउंड 1 में आवंटित सीट सुरक्षित रखी जाएगी।
17. **जिन अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के राउंड 1 में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, उन्हें राउंड 2 काउन्सिलिंग के लिए काउन्सिलिंग सिक्योरिटी शुल्क (Counselling Security Fee) (1000/– रुपये) का भुगतान नहीं करना होगा।**

*****

चरण (राउण्ड) 2

पात्रता

निम्नलिखित अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के राउंड 2 में भाग लेने के लिए पात्र होंगे:

- वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 में भाग नहीं लिया है।
- वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउन्सिलिंग के राउंड 1 में भाग लिया है और उन्हें किसी भी कॉलेज में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है।
- वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज में सीट आवंटित की गई है और जिन्होंने **विकल्प 2 एक्सेप्ट एलॉटेड सीट एण्ड वान्ट्स टू अपग्रेड एण्ड पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउन्सिलिंग (फ्लोट)** का चयन किया है।
- वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज में सीट आवंटित की गई है और जिन्होंने राउंड 1 में **विकल्प 3 डिक्लाइन एलॉटेड सीट एण्ड वान्ट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउन्सिलिंग (डिक्लाइन)** का चयन किया है।

निम्नलिखित अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के राउंड 2 में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे

- जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 में भाग लिया है और **विकल्प 1 एक्सेप्ट एलॉटेड सीट एण्ड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउन्सिलिंग (फ्रीज)** का चयन किया है।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

अभ्यर्थी द्वारा काउन्सिलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूपीजीईटी 2026 की आधिकारिक वेबसाइट www.abvmuup.edu.in के माध्यम से किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. पात्र अभ्यर्थी अपने मौजूदा लॉगिन **(आवेदन फॉर्म भरते समय प्रयुक्त लॉगिन)** के माध्यम से काउन्सिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए अभ्यर्थियों को www.abvmuup.edu.in पर अपने **यूपीजीईटी 2026 रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड** का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।

जिन अभ्यर्थियों ने काउन्सिलिंग के राउंड 1 में भाग नहीं लिया है, उन्हें निम्नलिखित चरण पूरे करने होंगे:

2. रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा यूपीजीईटी 2026 में भरी गई प्राथमिक जानकारी यथा अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि, श्रेणी, उप–श्रेणी और पता आदि स्वचालित रूप से पहले से ही भरी रहेगी।
3. जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया के समय 12वीं कक्षा की परीक्षा (10+2) बोर्ड परीक्षा में **Appearing** अंकित किया था, उन्हें **12वीं कक्षा (10+2) के अंक अपडेट करने होंगे।**
4. अभ्यर्थियों को अपना निम्न विवरण भी अपलोड करना होगा।
   a. हाई स्कूल प्रमाण पत्र (कक्षा 10वीं) और
   b. 12वीं कक्षा (10+2) की परीक्षा इंटरमीडिएट मार्कशीट/अंकों का विवरण।
   c. एएनएम मार्कशीट/अंक विवरण (यदि लागू हो)
5. अभ्यर्थियों को अपना निवास स्थान उत्तर प्रदेश राज्य (हां/नहीं), अल्पसंख्यक स्थिति (ईसाई/जैन/मुस्लिम/लागू नहीं) विवरण अपडेट करना होगा और निम्न का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा
   a. निवास स्थिति **(Domicile status)** (यदि लागू हो)
   b. अल्पसंख्यक दर्जा **(Minority status)** (यदि लागू हो)
   c. श्रेणी/उप–श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।

6. सेवारत एएनएम प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।
7. यदि अभ्यर्थी ने आवेदन फॉर्म भरते समय प्रारूप में **लिंग संबंधी जानकारी गलत भरी है** तो वह उसे भी अपडेट कर सकता है।
8. अभ्यर्थी अपनी श्रेणी (केटेगरी) अपडेट कर सकते हैं (वर्तमान श्रेणी को केवल अनारक्षित श्रेणी में एवं उप श्रेणी को केवल श्रेणी में)।
9. अभ्यर्थी को जमा करना होगा
    a. 500/- रुपये ऑनलाइन काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क **(गैर वापसी/Non-Refundable)** और
    b. काउन्सिलिंग सुरक्षा शुल्क **(Counselling Security Fee)** के रूप में 1000/- रुपये

दोनों शुल्क 1500/- रुपये (500 रुपये + 1000 रुपये) के एकल भुगतान (Single Payment) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।

जिन अभ्यर्थियों ने काउन्सिलिंग के राउंड 1 में भाग लिया है, उन्हें निम्नलिखित चरण पूरे करने होंगे:

1. अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क **(गैर वापसी/Non-Refundable)** के रूप में 500/- रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा, **सिवाय उन अभ्यर्थियों** के जिन्होंने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई है।
2. अभ्यर्थी को 1000/- रुपये का काउन्सिलिंग सुरक्षा शुल्क **(Counselling Security Fee)** जमा करना आवश्यक है, **सिवाय;**
    a. जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 की प्रवेश प्रक्रिया को स्वीकार (Accept) और पूर्ण कर लिया है तथा राउंड 2 **(फ्लोट)** में भाग लेने का विकल्प चुना है।
    b. जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन अस्वीकार (Decline) कर दिया है और राउंड 2 में भाग लेने का विकल्प चुना है
    c. जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और उन्हें कॉलेज में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है।
3. सफल रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार कॉलेजों का चयन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और उसे Save कर सकते हैं।

कॉलेज चयन हेतु विकल्पों का प्रयोग, सीट आवंटन की स्वीकृति और प्रवेश प्रक्रिया

1. ऑनलाइन सीट आवंटन पोर्टल अभ्यर्थी को कॉलेजों का चयन करने तथा उन्हें वरीयता के वांछित क्रम में व्यवस्थित करने की सुविधा प्रदान करेगा। अभ्यर्थी कितनी भी संख्या में विकल्प चुन सकता है तथा निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर वरीयताओं को संपादित (एडिट) और पुनः क्रमित (Re-order) कर सकता है। **उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सीट आवंटन में असफलता से बचने के लिए अधिकतम विकल्प भरें।**
2. काउन्सिलिंग पोर्टल पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार खोला जाएगा। **अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विकल्पों को लॉग-आउट करने से पहले सुरक्षित (Save) कर लिया जाना चाहिए।** अभ्यर्थी अपनी सुरक्षित **(Save)** की गई प्राथमिकताओं/विकल्पों में जितनी बार चाहें उतनी बार परिवर्तन कर सकते हैं। शेड्यूल में निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय पर भरे गये विकल्प स्वचालित रूप से लॉक हो जाएंगे।
3. अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय में कॉलेज विकल्पों को लॉक करने के बाद अपने द्वारा लॉक किये गये कॉलेज विकल्पों का प्रिंटआउट ले लेना चाहिए।

4. अभ्यर्थियों को सीट का आवंटन यूपीजीईटी 2026 की मेरिट के आधार पर तथा अभ्यर्थियों द्वारा लॉक किए गये विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।
5. अभ्यर्थी द्वितीय चरण की सीट आवंटन से सम्बन्धित जानकारी के लिए 15–07–2026 को पोर्टल पर लॉगिन करें।
6. सभी अभ्यर्थी जिन्हें राउंड 2 में सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें पोर्टल पर लॉगिन करके निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा:

विकल्प 1. एक्सेप्ट एलॉटेड सीट **विकल्प 2. डिक्लाइन एलॉटेड सीट**

महत्वपूर्ण नोटः

निर्धारित तिथि और समय के भीतर सीट आवंटन के बाद लॉगिन करने और विकल्प का चयन करने में विफल रहने पर आवंटित सीट और काउन्सिलिंग सुरक्षा शुल्क (Counselling Security Fee) (1000/– रुपये) जब्त कर लिया जाएगा।

7. सभी अभ्यर्थी जिन्हें सीटें आवंटित की गई हैं और जिन्होंने **विकल्प 1 (एक्सेप्ट एलॉटेड सीट)** चुना है, उन्हें **अनिवार्य रूप से** ऑनलाइन/चालान हस्तांतरण के माध्यम से एबीवीएमयू यूपी में रू0 10000/– (पॉच हजार रुपये मात्र) का **सीट पुष्टि शुल्क (Seat Confirmation Fee)** जमा करना होगा, जो आवंटित कॉलेज को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और काउन्सिलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्यूशन शुल्क के साथ समायोजित किया जाएगा। **(जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही राउंड 1 (फ्लोट) में 10000/– रुपये जमा कर दिए हैं और चरण 2 में भाग लेने का विकल्प चुना है, उन्हें पुनः रूपये 10000/– जमा करने की आवश्यकता नहीं है)**

- यदि कोई अभ्यर्थी अपनी मौजूदा सीट में फेरबदल करता है और राउंड 2 में नई अपग्रेडेड सीट प्राप्त करता है, तो उसकी राउंड 1 में आवंटित सीट स्वतः ही रद्द हो जाएगी। **अभ्यर्थी के लिए राउण्ड 2 काउन्सिलिंग की नयी अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य है।**
- **यदि राउंड 2 काउन्सिलिंग में अभ्यर्थी की सीट अपग्रेड/फेरबदल नहीं की जाती है तो उसकी राउंड 1 में आवंटित सीट सुरक्षित रखी जाएगी।**

8. सीट पुष्टि शुल्क जमा करने के बाद, अभ्यर्थी को अनुसूची में निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवंटित कॉलेज में **व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट** करना होगा।
9. अभ्यर्थियों को आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय **मूल प्रमाण–पत्रों के साथ–साथ** दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों की एक (01) स्व–सत्यापित फोटोकॉपी भी साथ ले जाना आवश्यक है।
10. कॉलेज सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और कॉलेज पोर्टल के माध्यम से उन्हें अपडेट करेगा। यदि सभी पात्रता मानदंड पूरे हो जाते हैं और सत्यापित हो जाते हैं, तो कॉलेज द्वारा अभ्यर्थी को विधिवत हस्ताक्षरित प्रोविजनल प्रवेश पत्र प्रदान किया जाएगा।

नोटः मूल प्रमाणपत्र एवं अन्य फीस केवल शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के समय ही जमा किये जायेंगे।

11. निम्न **दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की स्व–सत्यापित एक सेट फोटोकॉपी** की सूची जो आवंटित कॉलेज में जमा करना आवश्यक है:

I. प्रोविजनल सीट आवंटन पत्र।

II. 5 पासपोर्ट आकार की सफेद पृष्ठभूमि में नवीनतम रंगीन (कलर) फोटो।

III. 10000/– रुपये की सीट कन्फरमेशन शुल्क रसीद।

IV. फोटो पहचान प्रमाणपत्र (आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि)।

V. आवेदन भरते समय अपलोड की गई सत्यापन शीट (verification sheet)।

VI. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा (10+2)/समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/मार्कशीट/अंकों का विवरण। यदि अभ्यर्थी के पास ओरिजनल मार्कशीट नहीं है तो उसे डिजी लॉकर के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।

VII. जन्म तिथि दर्शाने वाला बोर्ड का प्रमाणपत्र (कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाणपत्र)।

VIII. 12वीं कक्षा (10+2) माइग्रेशन/स्थानांतरण प्रमाणपत्र।

IX. एएनएम कोर्स सर्टीफिकेट (यदि लागू हो)।

X. मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र।

XI. यदि लागू हो तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाणपत्र भी साथ लाने होंगेः

   a. केवल उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार/एसडीएम) द्वारा जारी एससी/एसटी जाति प्रमाणपत्र।

   b. 01 अप्रैल 2026 को या उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी/ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र। ओबीसी श्रेणी का उल्लेख उत्तर प्रदेश की ओबीसी–एनसीएल (नॉन क्रीमी लेयर) की सूची में होना चाहिए।

   c. सूचना बुलेटिन में उल्लेखित विधिवत गठित और अधिकृत मेडिकल बोर्ड से जारी बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) प्रमाणपत्र।

   d. जिला मजिस्ट्रेट से जारी स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र।

   e. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) प्रमाणपत्र।

   f. अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र (ईसाई/जैन/मुस्लिम)।

12. **सीट आवंटन और स्वीकृति के बाद, यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसकी आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी और काउन्सिलिंग सुरक्षा शुल्क (Counselling Security Fee) (रू0 1000/–) जब्त कर लिया जाएगा।**

13. **कॉलेज में प्रवेश के बाद यदि अभ्यर्थी त्यागपत्र देने की अवधि में अर्थात 25–07–2026 से 27–07–2026 तक सायं 6:00 बजे तक सीट से त्यागपत्र नहीं देता है तो काउन्सिलिंग सिक्योरिटी शुल्क (Counselling Security Fee) (रूपये 1000/–) और सीट पुष्टिकरण शुल्क (Seat Confirmation Fee) (रूपये 10000/–) जब्त कर लिया जायेगा।**

मॉप अप राउंड

पात्रता

निम्नलिखित अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के मॉप अप राउंड में भाग लेने के लिए पात्र होंगे:

- वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउन्सिलिंग के किसी भी पिछले राउंड में भाग नहीं लिया है।
- वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 और 2 में भाग लिया है और उन्हें कोई कॉलेज सीट आवंटित नहीं की गयी।
- **सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 या 2 में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, वे भी मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन से पहले निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर अपनी आवंटित सीट से इस्तीफा देना होगा, इस्तीफे के बाद उनका पहले से आवंटित सीट पर कोई दावा नहीं होगा। इस स्थिति में आवंटित सीट और काउन्सिलिंग सुरक्षा शुल्क (Counselling Security Fee) रुपये 1000/– जब्त कर लिए जाएँगे।**

निम्नलिखित अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के मॉप अप राउंड में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे

- सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 और 2 में भाग लिया है और जिन्हें सीटें आवंटित की गई हैं तथा जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

काउन्सिलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभ्यर्थी द्वारा आधिकारिक यूपीजीईटी 2026 वेबसाइट– www.abvmuup.edu.in के माध्यम से किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. पात्र अभ्यर्थी अपने मौजूदा लॉगिन के माध्यम से काउन्सिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए अभ्यर्थियों को www.abvmuup.edu.in पर जाकर अपनी यूपीजीईटी 2026 **रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड** का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।
2. भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में रूपये 500/– जमा करने होंगे **(गैर वापसी/Non-Refundable) सिवाय उन लोगों के जिन्होंने राउंड 1 एवं राउंड 2 में पंजीकरण कराया है तथा उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं की गई है।**

जिन अभ्यर्थियों ने काउन्सिलिंग के राउंड 1 और राउंड 2 में भाग नहीं लिया है, उन्हें निम्नलिखित चरण पूर्ण करने होंगे:

3. रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा यूपीजीईटी 2026 में भरी गई प्राथमिक जानकारी यथा अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि, श्रेणी, उप–श्रेणी और पता आदि स्वचालित रूप से पहले से ही भरी रहेगी।
4. जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया के समय 12वीं कक्षा की परीक्षा (10+2) बोर्ड परीक्षा में **Appearing** अंकित किया था, उन्हें **12वीं कक्षा (10+2) के अंक अपडेट करने होंगे।** अभ्यर्थियों को अपना निम्न विवरण भी अपलोड करना होगा।
   a. हाई स्कूल प्रमाण पत्र (कक्षा 10वीं) और
   b. 12वीं कक्षा (10+2) की परीक्षा इंटरमीडिएट मार्कशीट/अंकों का विवरण।
   c. एएनएम मार्कशीट/अंक विवरण (यदि लागू हो)।

5. अभ्यर्थियों को अपना निवास स्थान उत्तर प्रदेश राज्य (हां/नहीं), अल्पसंख्यक स्थिति (ईसाई/जैन/मुस्लिम/लागू नहीं) विवरण अपडेट करना होगा और निम्न का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा
   a. निवास स्थिति **(Domicile status)** (यदि लागू हो)
   b. अल्पसंख्यक दर्जा **(Minority status)** (यदि लागू हो)
   c. श्रेणी/उप–श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।
6. सेवारत एएनएम प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।
7. यदि अभ्यर्थी ने आवेदन फॉर्म भरते समय प्रारूप में **लिंग संबंधी जानकारी गलत भरी है** तो वह उसे भी अपडेट कर सकता है।
8. अभ्यर्थी अपनी श्रेणी (केटेगरी) अपडेट कर सकते हैं (वर्तमान श्रेणी को केवल अनारक्षित श्रेणी में एवं उप श्रेणी को केवल श्रेणी में)।
9. अभ्यर्थी को जमा करना होगा
   a. 500/– रुपये ऑनलाइन काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क **(गैर वापसी/Non-Refundable)** और
   b. काउन्सिलिंग सुरक्षा शुल्क **(Counselling Security Fee)** के रूप में 1000/– रुपये

दोनों शुल्क 1500/– रुपये (500 रुपये + 1000 रुपये) के एकल भुगतान (Single Payment) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।

काउन्सिलिंग के राउंड 1 और राउंड 2 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित चरण पूरे करने होंगे:

10. जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 और राउंड 2 में भाग लिया है, उन्हें 1000/– रुपये का काउन्सिलिंग सुरक्षा शुल्क **(Counselling Security Fee)** जमा करना आवश्यक है, **सिवाय**
    - वे अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1/राउंड 2 काउन्सिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई है।

कॉलेज चयन हेतु विकल्पों का प्रयोग, सीट आवंटन की स्वीकृति और प्रवेश प्रक्रिया

1. ऑनलाइन सीट आवंटन पोर्टल अभ्यर्थी को कॉलेजों का चयन करने तथा उन्हें वरीयता के वांछित क्रम में व्यवस्थित करने की सुविधा प्रदान करेगा। अभ्यर्थी कितनी भी संख्या में विकल्प चुन सकता है तथा निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर वरीयताओं को संपादित (एडिट) और पुनः क्रमित (अपडेट) कर सकता है। **उन्हें सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिकतम विकल्प भरें।**
2. काउन्सिलिंग पोर्टल पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार खोला जाएगा। **अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विकल्पों को लॉग–आउट करने से पहले सुरक्षित (Save) कर लिया जाना चाहिए।** अभ्यर्थी अपनी सुरक्षित **(Save)** की गई प्राथमिकताओं/विकल्पों में जितनी बार चाहें उतनी बार परिवर्तन कर सकते हैं। शेड्यूल में निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय पर भरे गये विकल्प स्वचालित रूप से लॉक हो जाएंगे।
3. अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय में कॉलेज विकल्पों को लॉक करने के बाद अपने द्वारा लॉक किये गये कॉलेज विकल्पों का प्रिंटआउट ले लेना चाहिए।
4. अभ्यर्थियों को सीट का आवंटन यूपीजीईटी 2026 की मेरिट के आधार पर तथा अभ्यर्थियों द्वारा लॉक किए गए विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।
5. अभ्यर्थी मॉप अप राउण्ड की सीट आवंटन से सम्बन्धित जानकारी के लिए 03–08–2026 को पोर्टल पर लॉगिन करें।

6. सभी अभ्यर्थी जिन्हें मॉप अप राउण्ड में सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें पोर्टल पर लॉगिन करके निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा:

विकल्प 1. एक्सेप्ट एलॉटेड सीट **विकल्प 2. डिक्लाइन एलॉटेड सीट**

> **महत्वपूर्ण नोटः**
> **निर्धारित तिथि और समय के भीतर सीट आवंटन के बाद लॉगिन करने और विकल्प का चयन करने में विफल रहने पर आवंटित सीट और काउन्सिलिंग सुरक्षा शुल्क (Counselling Security Fee) (1000/– रुपये) जब्त कर लिया जाएगा।**

7. सभी अभ्यर्थी जिन्हें सीटें आवंटित की गई हैं और जिन्होंने **विकल्प 1 (एक्सेप्ट एलॉटेड सीट)** चुना है, उन्हें **अनिवार्य रूप से** ऑनलाइन/चालान हस्तांतरण के माध्यम से एबीवीएमयू यूपी में रू0 10000/– (पॉच हजार रुपये मात्र) का **सीट पुष्टि शुल्क (Seat Confirmation Fee)** जमा करना होगा, जो आवंटित कॉलेज को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और काउन्सिलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्यूशन शुल्क के साथ समायोजित किया जाएगा। **(जिन अभ्यर्थियों ने चरण 1 या चरण 2 में पहले से ही 10000/– रुपये जमा कर दिए हैं उन्हें यह फीस जमा नहीं करनी है)**
8. सीट पुष्टि शुल्क जमा करने के बाद, अभ्यर्थी को अनुसूची में निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवंटित कॉलेज में **व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट** करना होगा।
9. अभ्यर्थियों को आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय **मूल प्रमाण–पत्रों के साथ–साथ** दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों की एक (01) स्व–सत्यापित फोटोकॉपी भी साथ ले जाना आवश्यक है।
10. कॉलेज सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और कॉलेज पोर्टल के माध्यम से उन्हें अपडेट करेगा। यदि सभी पात्रता मानदंड पूरे हो जाते हैं और सत्यापित हो जाते हैं, तो कॉलेज द्वारा अभ्यर्थी को विधिवत हस्ताक्षरित प्रोविजनल प्रवेश पत्र प्रदान किया जाएगा।

    नोटः मूल प्रमाणपत्र एवं अन्य फीस केवल शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के समय ही जमा किये जायेंगे।
11. निम्न **दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की स्व–सत्यापित एक सेट फोटोकॉपी** की सूची जो आवंटित कॉलेज में जमा करना आवश्यक है:

    I. प्रोविजनल सीट आवंटन पत्र।
    II. 5 पासपोर्ट आकार की सफेद पृष्ठभूमि में नवीनतम रंगीन (कलर) फोटो।
    III. 10000/– रुपये की सीट कन्फरमेशन शुल्क रसीद।
    IV. फोटो पहचान प्रमाणपत्र (आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
    V. आवेदन भरते समय अपलोड की गई सत्यापन शीट (verification sheet)।
    VI. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा (10+2)/समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/मार्कशीट/अंकों का विवरण। यदि अभ्यर्थी के पास ओरिजनल मार्कशीट नहीं है तो उसे डिजी लॉकर के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।
    VII. जन्म तिथि दर्शाने वाला बोर्ड का प्रमाणपत्र। (कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाणपत्र)
    VIII. 12वीं कक्षा (10+2) माइग्रेशन/स्थानांतरण प्रमाणपत्र।
    IX. एएनएम कोर्स सर्टीफिकेट (यदि लागू हो)।
    X. मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र
    XI. यदि लागू हो तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाणपत्र भी साथ लाने चाहिए:

a. केवल उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार/एसडीएम) द्वारा जारी एससी/एसटी जाति प्रमाणपत्र।

b. 01 अप्रैल 2026 को या उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी/ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र। ओबीसी श्रेणी का उल्लेख उत्तर प्रदेश की ओबीसी–एनसीएल (नॉन क्रीमी लेयर) की सूची में होना चाहिए।

c. सूचना बुलेटिन में उल्लिखित विधिवत गठित और अधिकृत मेडिकल बोर्ड से जारी बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) प्रमाणपत्र।

d. जिला मजिस्ट्रेट से जारी स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र।

e. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) प्रमाणपत्र।

f. अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र (ईसाई/जैन/मुस्लिम)।

12. **सीट आवंटन और मॉप अप राउंड में स्वीकृति के बाद, यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्टिंग की अन्तिम तिथि तक आवंटित कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है, तो आवंटित सीट, काउन्सिलिंग सुरक्षा शुल्क (Counselling Security Fee) रूपये 1000/– और सीट पुष्टिकरण शुल्क (Seat Confirmation Fee) रूपये 10000/– जब्त कर लिया जाएगा।**

सीट स्थानान्तरण (The Seat Conversion)

सीटों का स्थानान्तरण सीट आवंटन के मॉपअप राउंड के बाद किया जाएगा। उक्त स्थानान्तरण केवल तभी किया जाएगा, जब उक्त स्थानान्तरण श्रेणी/उप–श्रेणी से संबंधित योग्य अभ्यर्थियों की संख्या समाप्त हो गई हो। श्रेणियों/उप–श्रेणियों के स्थानान्तरण के लिए एल्गोरिथम निम्नलिखित तालिका के अनुसार है:

क्र0सं0	स्थानान्तरण श्रेणी	श्रेणी परिवर्तित
1	एसटी (पीडब्ल्यूडी, एफएफ एण्ड ईएसएम)	एसटी
2	एससी (पीडब्ल्यूडी, एफएफ एण्ड ईएसएम)	एससी
3	यूआर (पीडब्ल्यूडी, एफएफ एण्ड ईएसएम)	यूआर
4	ओबीसी (पीडब्ल्यूडी, एफएफ एण्ड ईएसएम)	ओबीसी
5	ईडब्ल्यूएस (पीडब्ल्यूडी, एफएफ एण्ड ईएसएम)	ईडब्ल्यूएस
6	एसटी	एससी
7	एससी	यूआर
8	ओबीसी	यूआर
9	ईडब्ल्यूएस	यूआर
10	अल्संख्यक	यूआर

Annexure 1

<u>ए0एन0एम0 का उनकी तैनाती/कार्यस्थल, जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनके 05 वर्ष के कार्य एवं व्यवहार का प्रारूप पर प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि कु0/श्रीमती.. पत्नी/पुत्री...जन्मतिथि.. निवासी..जनपद.. ई0एच0आर0एम0एस0कोड..................................नियुक्ति तिथि..संविदा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0)/स्थायी (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0) के द्वारा ए0एन0एम0 के पद पर दिनांक..से ....तक कार्य किया गया है। इस अवधि में इनकी सेवायें निरन्तर एवं कार्य संतोषजनक रहा है तथा इनका व्यवहार भी उत्तम रहा है। इनके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है, जो इन्हें सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण हेतु अयोग्य करे।

दिनांक........................

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

जनपद................................

उत्तर प्रदेश।

(मुहर एवं हस्ताक्षर सहित)